न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 08 / 2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2021 / 108

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रतनाराम पुत्र जोगाराम 2 राजुराम पुत्र जोगाराम जातियान–जाट, निवासीगण–बिजरोल खेड़ा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 केनाराम पुत्र लक्ष्मणा 2 नेनाराम पुत्र लक्ष्मणा 3 पनाराम पुत्र लक्ष्मणा 4 मदाराम पुत्र लक्ष्मणा 5 हीराराम पुत्र लक्ष्मणा जातियान–जाट, निवासीगण–बिजरोल खेड़ा, तहसील–सांचौर 6 व्यवस्थापक दी.जा.स.कॉ.बैंक.लि. शाखा–अरणाय 7 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 12.10.2021

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4,6 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
4. राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 17.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम–बिजरोल खेड़ा पटवार हल्का–बिजरोल के खेत खसरा नंबर 429 रकबा 3.38 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीगण की रहवासयी ढ़ाणी आयी हुई है। उक्त खेत प्रार्थीगण के आपसी सहमति व भौतिक तौ[illegible]कर हमारे बंट, कब्जे काश्त का आया हुआ है, अन्य खातेदार जाटों [illegible] रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम बिजर[illegible]ड़ा के खसरा नंबर 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 12 मीटर लंबाई व 8 मीटर के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने में आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता लियादरा से

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

बिजरोल गोलिया जाने वाली पक्की ग्रेवल सडक को जोडता है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करें, न करावें तथा न आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडि के तलब किया गया, अप्रार्थीगण उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 429 ग्राम बिजरोल खेड़ा में अवश्य आई हुई है लेकिन यह आराजी केवल प्रार्थीगण के मालिकाना की न होकर जमाबन्दी संवत् 2075 से 2077 के खाता नंबर 47 के अनुसार खसरा नंबर 429 के खातेदार किशना, चतरा, चेना, रतना, राजू पिसरान जोगा है जबकि रास्ते बाबत् आवेदन मात्र रतना व राजू ने किया है ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से काबिल खारिज है क्योंकि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माफिक सभी सहआसामीयो द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है इस कारण आवेदन काबिज खारिज है। खसरा नंबर 420 के रेकर्डेड खातेदारी ज्यादा है लेकिन प्रार्थीगण ने खसरा नंबर 420 के सभी रेकर्डेड खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाये है ऐसी सुरत में प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है फिर भी अप्रार्थी मानवता के नाते प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेत खसरा नंबर 429 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 420 में से पुर्वी माठ से सहारे सहारे रास्ता देकर रास्ते की भूमि के बदले में खसरा नंबर 429 जो कि प्रार्थीगण का खेत है में से उतनी ही जमीन नक्शे में वर्णित लाल की (भूमि) लेकर रास्ता देने हेतु सहमत है।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपना जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खातेदार रतनाराम, राजुराम पिसरान जोगाराम, जाति–जाट, साकिन–बिजरोल खेड़ा की खातेदारी भूमि ग्राम बिजरोल खेड़ा खसरा संख्या 429 रकबा 3.38 हैक्टेयर की आई हुई है। जिसके आवागमन हेतु खसरा नंबर 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर अप्रार्थीगण की खातेदारी में से रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे मौका जांच फर्द के नजरी नक्शा के रूप में प्रदर्शित किया है। मौका जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक निकटतम रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 429 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता घोषित करने हेतु पेश है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिव[illegible] ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण [illegible] खातेदारी खेत ग्राम बिजरोल खेड़ा के खसरा नंबर 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से [illegible] 8 मीटर के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदा[illegible] कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने में आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उपख[illegible]ारी
सांचौर

आवागमन में बाधा कारित न करें, न करावें तथा न आवेदित स्थान रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व करावें। इस आशय का आदेश जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 429 ग्राम बिजरोल खेड़ा में अवश्य आई हुई है लेकिन यह आराजी केवल प्रार्थीगण के मालिकाना की न होकर जमाबन्दी संवत् 2075 से 2077 के खाता नंबर 47 के अनुसार खसरा नंबर 429 के खातेदार किशना, चतरा, चेना, रतना, राजू पिसरान जोगा है जबकि रास्ते बाबत् आवेदन मात्र रतना व राजू ने किया है ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से काबिल खारिज है। अतः खारिज फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात् एवं नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 'क' में कानुनी प्रावधान है।

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(I) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है कि जबकि उसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल खेडा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.07.2024 के अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 429 में वर्तमान में कोई कटाण मार्ग से जुडा हुआ नहीं है। वर्तमान में प्रार्थीगण खसरा संख्या 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर अप्रार्थीगण की खातेदारी में से रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता है। खसरा संख्या 429 रकबा 3.38 हैक्टेयर में जाने हेतु खसरा संख्या 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से 12 मीटर लंबाई व 8 मीटर चौड़े रास्ते की निकटतम रूप से आवश्यकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि मौजा बिजरोल खेडा के खसरा संख्या 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 429 रकबा 3.38 हैक्टेयर में भू–अभिलेख निरीक्षक बिजरोल द्वारा प्रस्तावित मौका जांच रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे अनुसार 12 मीटर लंबाई व 8 मीटर चौडा रकबा 0.01 हैक्टेयर ..... की खातेदारी की अभिघृति निर्वापित करते हुए खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजरोल की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजरोल खेड़ा के खसरा संख्या 420 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में से 12 मीटर लंबाई व 8 मीटर चौड़ाई अर्थात् कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि खातेदार की अभिघृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 (i) (ii) (क) के अनुसार वर्तमान डी. एल.सी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 429 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर इसे तब तक जमा रखें जब तक की ऐसे खातेदार/वारिसान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर